प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 14/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

हुकमसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासीः कटारा पालड़ी, पोस्ट–बड़गांव, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

.....**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव उदयपुर (राज.)

.....**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 05-03-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 25.12.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/14/24/208–09 दिनांक 12.02.2024 से लिखा गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सू.अ.2005/24/732 दिनांक 04.03.2024 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी हुकमसिंह पिता रामसिंह द्वारा दिनांक 25.12.2023 को आरटीआई दायर कर उद्धृत सूचना इस कार्यालय से चाही गई थी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः सू.अ.2005/23/2194 दिनांक 27.12.2023 एवं सू.अ. 2005/24/267 दिनांक 30.01.2024 से प्रार्थी हुकमसिंह को सूचित किया गया था कि प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.20(84) प्रसु/सूअप्र/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.18 के अनुसार "यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।" अतः प्रार्थी को न्यायालय की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु लिखा गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण को निरस्त करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांकः सू.अ.2005/23/2194 दिनांक 27.12.2023 एवं पत्रांक सू.अ.2005/24/267 दिनांक 30.01.2024 से प्रेषित कर अवगत कराया गया कि राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.20(84) प्रसु/सूअप्र/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.18 के अनुसार "यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।" प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उक्त परिपत्र के संदर्भ अनुसार चाही जा रही वांछित सूचना के संबंध में अपने कार्यालय के पत्रांक 2194 दिनांक 27.12.2023 एवं पत्रांक 267 दिनांक 30.01.2024 से अवगत करावाया गया परन्तु उक्त शूल्क का निर्धारण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित विशेष शुल्क का संदाय नहीं किये जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में वांछित शुल्क जमा नहीं कराया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना के संबंध में जो भी विशेष शुल्क बनता हो, निर्धारित कर अपीलार्थी को वांछित शुल्क जमा कराने से अवगत करावे। साथ ही यदि अपीलार्थी द्वारा वांछित विशेष शुल्क अपीलार्थी द्वारा जमा करा दिया जाता है तो अपीलार्थी को चाही जा रही वांछित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर